<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–38/2023</u>

प्रमोद कुमार गुप्ता एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रशमी पाठक एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
17.07.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 06.02.2025 अन्दर आदेश 06 नियम 17 व्य0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 17.07.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद वाद बिन्दु निर्धारण वो मूल कागजात दाखिल करने हेतु चल रहा है। प्रस्तुत वाद में वाद पत्र के पारा नं0–02 के छठे लाईन के शब्द रकबा के बाद 09 कट्ठा 10 धुर के बजाय 05 कट्ठा 05 धुर भूमि टंकक के गलती से टाईप हो गया जिसको विलोपित कर उसके स्थान पर 09 कट्ठा 10 धुर भूमि दर्ज करना वाद के निर्धारण हेतु आवश्यक है। अगर श्रीमान् द्वारा वादीगण के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। संशोधन आवेदन महज औपचारिक है। इससे वाद के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत संशोधन आवेदन को स्वीकार कर वादीगण को वाद पत्र में संशोधन करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए वादीगण श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगे। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक आवेदन दिनांक 06.02.2025 अन्दर आदेश 06 नियम 17 व्य0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वाद पत्र के पारा नं0–02 के छठे लाईन के शब्द रकबा के बाद 09 कट्ठा 10 धुर के बजाय 05	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–38/2023</u>

प्रमोद कुमार गुप्ता एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

रशमी पाठक एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.07.2025	कट्ठा 05 धुर भूमि टंकक की गलती से टाईप हो गया जिसको विलोपित कर उसके स्थान पर 09 कट्ठा 10 धुर भूमि दर्ज करने का आदेश दिया जाए। प्रस्तुत संशोधन औपचारिक मात्र है। इससे वाद की प्रकृति पर या प्रतिवादीगण पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 06.02.2025 को स्वीकार किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करे। वाद दिनांक 19.08.2025 को सुनवाई एवं वादीगण द्वारा वाद पत्र में संशोधन वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	